उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–2
संख्याः– 747/सेक–2–पांच–18–5(267)/2014टी.सी.
लखनऊः दिनांक :06 अप्रैल, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

डा0 जगदीश प्रसाद (वरिष्ठता कमांक–9146), तत्कालीन एस0एम0ओ0 (स्टोर), कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2010–11 में जनपद बांदा में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत फण्ड का दुरूपयोग करके 30 एम0जी0 एलिमेन्टल आयरन व 250 एम0सी0जी0 फोलिक एसिड के टैबलेट की खरीद ऊंची दरों पर करके निजी पार्टी को लाभ पहुंचाकर शासकीय क्षति पहुंचाने के संबंध में सी0बी0आई0/एस0सी0बी0, लखनऊ द्वारा केस संख्या–आर0सी00532013ए0014 पर पंजीकृत भ0द0सं0 की धारा–120बी, 420, 468, 471 एवं 511 तथा भ्र0नि0अ0–1988 की धारा–13(2) सपठित धारा–13(1)(डी) में आरोपी बनाये जाने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–4143ए/सेक–2–पांच–14–5(267)/14टी0सी0, दिनांक 30.01.2015 द्वारा निलम्बित किया गया तथा उक्त आरोपों में प्रथमदृष्टया दोषी पाते हुए डा0 जगदीश प्रसाद के विरूद्ध शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1795/सेक–2–पांच–15–5(114)/2015, दिनांक 25.06.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के नियम–7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा को जांच अधिकारी नामित किया गया।

2– डा0 जगदीश प्रसाद द्वारा निलम्बन समाप्त कर सेवा में बहाल किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या–59631/2017 डा0 जगदीश प्रसाद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी, जिसमें दिनांक 21.12.2017 को सुनवाई करते हुए मा0 न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है:–

> "Heard Sri Vikas Budhwar, learned counsel for the petitioner and learned standing counsel for the respondent.
>
> The petitioner is aggrieved by his suspension.
>
> The petitioner is a Medical Officer and was placed under suspension on 03.01.2015. Till date, no chargesheet has been submitted to him in the departmental inquiry.
>
> Learned standing counsel was given time to seek instructions in the matter and according to the instructions, the petitioner has been kept under suspension as a criminal case is going on against him.
>
> Sri Budhwar submits that along with the petitioner, one other Dr. Nita Srivastava was also involved in the criminal case who was suspended on 11.06.2012 and since no chargesheet was submitted against her, this Court vide order dated 25.05.2016 passed in Writ Petition No. 11754 of 2016 revoked the suspension order and directed the departmental inquiry to be completed within a time bound period.
>
> The Apex Court in the case of **'Ajay Kumar Chaudhary vs. Union of India' 2015 (7) SCC 291** has already held that if the chargesheet is not submitted in the departmental inquiry within a period of three months, there is no point in keeping the person under suspension.
>
> In view of the above, we dispose of the writ petition by revoking the suspension order dated 03.01.2015 with the direction to the respondents to complete the departmental inquiry in accordance with law most expeditiously if possible within a period of six months."

3– मा0 न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में डा0 जगदीश प्रसाद, तत्कालीन एस0एम0ओ0 (स्टोर), कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा सम्प्रति निलम्बित का कार्यालय–ज्ञाप संख्या–4143ए/सेक–2–पांच–14–5(267)/14टी0सी0, दिनांक 30.01.2015

द्वारा किया गया निलम्बन समाप्त कर सेवा में बहाल करते हुए उन्हें जिला संयुक्त चिकित्सालय, श्रावस्ती में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर तैनात किये जाने हेतु श्री राज्यपाल एतद्द्वारा आदेश प्रदान करते हैं।

3— डा0 जगदीश प्रसाद के विरूद्ध शासन के कार्यालय—ज्ञाप संख्या—4143ए/सेक—2—पांच—14—5(267)/14टी0सी0, दिनांक 30.01.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली—1999 के नियम—7 के अन्तर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही गतिमान रहेगी।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,

वी0हेकाली झिमोमी
सचिव।

पृ0सं0— (1)/सेक—2—पॉच—18, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— महानिदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
3— निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4— अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा/देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
5— जांच अधिकारी/अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा।
6— मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा।
7— मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, श्रावस्ती।
8— मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बांदा/श्रावस्ती।
9— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
10— प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत आदेश को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करते हुए संबंधित चिकित्साधिकारी का पी—2 संशोधित करने का कष्ट करें।
11— चिकित्सा अनुाग—3
12— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव।